

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-3
संख्या-401/सत्तर-3-2022
लखनऊ : दिनांक: 09 फरवरी, 2022

- 1- कुलपति,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।
- 2- निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ०प्र०
प्रयागराज।

प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू किए जाने विषयक शासनादेश संख्या-1567/सत्तर-3-2021-16(26)/2011 टी.सी., दिनांक 13.07.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें जिसमें उल्लेख किया गया था कि सी.बी.सी.एस. आधारित नवीन पाठ्यक्रम स्नातक स्तर पर शैक्षिक सत्र 2021-22 तथा उच्चतर स्तरों पर शैक्षिक सत्र 2022-23 से लागू होगा। प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम 2021-22 में लागू कर दिए गए हैं।

2- पाठ्यक्रम पुनर्संरचना की राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को स्नातक (शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं पी०एच०डी० स्तर पर लागू किये जाने हेतु सुझाव दिये गये हैं, जिन्हे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय कृपया इन पर विचार करना चाहें तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना करके एवं सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करके शैक्षिक सत्र 2022-23 से लागू करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीया,
(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-401/सत्तर-3-2022-तदुदिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
- 2- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी उ०प्र०।
- 3- प्रो० हरे कृष्ण, सांख्यिकी विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उ०प्र०।
- 4- डॉ० दिनेश चन्द्र शर्मा, जन्तु विज्ञान विभाग, कु०मा० कन्या पी०जी० राजकीय महाविद्यालय, बादलपुर, उ०प्र०।

आज्ञा से,
(शमीम अहमद खान)
सचिव।

संलग्नक

उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को स्नातक (शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं पी0एच0डी0 स्तर पर लागू किये जाने हेतु सुझाव

उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू किये जाने हेतु उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन ने शासनादेश, संख्या-1567/सत्तर-3-2021-16(26)/2011 टी0सी0, दिनांक 13 जुलाई 2021 जारी किया था जिसके बिन्दु संख्या-4 में कहा गया था कि स्नातक (शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं पी0एच0डी0 पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लागू होगा।

इस सम्बन्ध में निम्न सुझाव/योजना प्रस्तुत है :-

क्षेत्र (Scope)-

- जिन संकायों के पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में किसी नियामक संस्था के नियम लागू नहीं होते जैसे कि एम0ए0, एम0एस0सी0 एवं एम0काम0 इत्यादि, उनमें यह व्यवस्था लागू होगी।
- चिकित्सा (Medicine and Dental etc.), तकनीकी शिक्षा (B.Tech, MCA etc.), विधि (बी0ए0-एल0एल0बी0, बी0एस0सी-एल0एल0बी0, एल0एल0बी0, एल0एल0एम0, इत्यादि), शिक्षक शिक्षा (बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड.) इत्यादि के लिये व्यवस्था का निर्धारण उनकी नियामक संस्थाओं के एन.ई.पी.-2020 के अनुरूप नए पाठ्यक्रम व संरचना के आने पर किया जायेगा।

स्नातकोत्तर में प्रवेश व निकास-

- नवीन अथवा पुरातन प्रणाली के तीन वर्षीय स्नातक उपाधि प्राप्त विद्यार्थी स्नातकोत्तर कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेंगे। यह वर्ष उच्च शिक्षा का चतुर्थ वर्ष कहलायेगा।
- इस वर्ष में प्रवेश विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रवेश परीक्षा अथवा मेरिट पर आधारित होगा।
- प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता विश्वविद्यालय के नियमानुसार होगी।
- स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष में न्यूनतम 52 क्रेडिट अर्जित कर उत्तीर्ण करने के पश्चात यदि कोई छात्र छोड़ कर जाना चाहता है तो उसे स्नातक (शोध सहित) की उपाधि दी जायेगी। स्नातकोत्तर प्रथम व द्वितीय वर्ष दोनों में न्यूनतम 52+48 क्रेडिट अर्जित करके उत्तीर्ण करने पर छात्र को उस संकाय के उस मुख्य विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान की जायेगी।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/कार्यक्रम संरचना-

- स्नातकोत्तर कार्यक्रम की संरचना जैसे कि पेपर्स का प्रकार, उनकी संख्या व क्रेडिट इत्यादि, उपरोक्त उल्लेखित 13 जुलाई 2021 के शासनादेश के अंतिम पृष्ठ पर एक तालिका में दी हुई है। सुलभ संदर्भ के लिए यह तालिका इस पत्र के अंत में भी अंकित है।
- स्नातकोत्तर में एक ही मुख्य विषय (Major Subject) होगा।

- स्नातकोत्तर कार्यक्रम सी0बी0सी0एस0 एवं सेमेस्टर प्रणाली में संचालित होगा।
- मुख्य विषय के चार थ्योरी के पेपर (पाँच क्रेडिट का एक) अथवा चार थ्योरी के व एक प्रयोगात्मक पेपर (सभी चार चार क्रेडिट) एक सेमेस्टर में होंगे। इस प्रकार एक सेमेस्टर में मुख्य विषय के पेपर्स के 20 क्रेडिट होंगे। एक वर्ष में 40 व दो वर्ष में 80 क्रेडिट होंगे।
- स्नातकोत्तर कार्यक्रम का पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया जायेगा कि उसमें अधिकाधिक Optional पेपर्स हों।
जैसे कि प्रथम सेमेस्टर में चारों थ्योरी पेपर्स अनिवार्य हो सकते हैं। द्वितीय व तृतीय सेमेस्टर में एक अथवा दो पेपर specialization पर आधारित optional पेपर्स में से विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार एवं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर इन पेपर्स का चुनाव कर सकता है। चतुर्थ सेमेस्टर में अधिकाधिक अथवा सभी पेपर्स specialization पर आधारित optional पेपर्स होना समुचित रहेगा।
- स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में छात्र को केवल एक माइनर इलेक्टिव पेपर, मुख्य विषय से अलग किसी अन्य संकाय के विषय का लेना होगा। यह पेपर 4 या अधिक क्रेडिट का होगा।
- उपरोक्त सभी पेपर्स के पाठ्यक्रम (Syllabus) विश्वविद्यालय द्वारा अपनी पाठ्यक्रम समिति (Board of Studies) एवं विद्वत परिषद (Academic Council) से शीघ्र ही अनुमोदित कराये जायेंगे।

स्नातकोत्तर कार्यक्रम में शोध परियोजना (Research Project)

- उच्च शिक्षा के चतुर्थ एवं पंचम वर्ष (स्नातकोत्तर के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष) में विद्यार्थी को वृहद शोध परियोजना करनी होगी।
- विद्यार्थी को चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में उसके द्वारा चुने गये मुख्य विषय से सम्बंधित शोध परियोजना करनी होगी।
- यह शोध परियोजना interdisciplinary/ multi-disciplinary भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग/इन्टरनशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।
- शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाइजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को-सुपरवाइजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है।
- स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में चार क्रेडिट (चार घंटे प्रति सप्ताह) की शोध परियोजना करनी होगी।
- विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Project Report/ Dissertation) जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में सुपरवाइजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में से किया जायेगा। इस प्रकार इस परीक्षा के कुल 8 क्रेडिट होंगे।
- यदि कोई विद्यार्थी अपनी इस शोध परियोजना में से कोई शोध पत्र UGC-CARE listed जर्नल में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के दौरान प्रकाशित करवाता है, तो उसे शोध परियोजना के मूल्यांकन (पूर्णांक 100 में से) में 25 अंक तक अतिरिक्त अंक दिये जा सकते हैं। प्राप्तांक अधिकतम 100 ही होंगे।
- शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में भी सम्मिलित किया जायेगा।

क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण

- क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण तथा उपस्थिति आदि के नियम उपरोक्त उल्लेखित 13 जुलाई 2021 के शासनादेश के बिन्दु संख्या 9 व 10 में दिये गये हैं।

पी0एच0डी0 कार्यक्रम

- पी0एच0डी0 कार्यक्रम में प्रवेश एवं संचालन के नियम व अध्यादेश विश्वविद्यालय द्वारा यू0जी0सी0 के दिशा निर्देशों के अनुसार बनाये जाते हैं।
- इसमें शोध परियोजना से पहले प्री-पी0एच0डी0 कोर्स वर्क करना अनिवार्य होता है।
- सभी विश्वविद्यालयों में प्री0-पी0एच0डी0 कोर्स की संरचना में एकरूपता लाने के लिए इस कोर्स वर्क में दो पेपर मुख्य विषय के 6-6 क्रेडिट के होंगे तथा एक पेपर 4 क्रेडिट का उस मुख्य विषय से सम्बन्धित Research Methodology (including research ethics, plagiarism and computer applications) का होगा।
- उपरोक्त 16 क्रेडिट के तीन पेपर्स के पाठ्यक्रम (Syllabus) विश्वविद्यालय अपनी पाठ्यक्रम समिति (Board of Studies) एवं विद्वत परिषद (Academic Council) से शीघ्र ही अनुमोदित कराये जायेंगे।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमावली-2016 (UGC Regulation 2016) के बिन्दु संख्या 7.8 के अनुरूप प्री-पी0एच0डी0 कोर्स वर्क के न्यूनतम उत्तीर्ण अंक (Minimum Passing marks) 55% अथवा समकक्ष ग्रेड/ CGPA होंगे।
- उपरोक्त थ्योरी पेपर्स के अतिरिक्त, प्री-पी0एच0डी0 कोर्स वर्क में एक शोध परियोजना भी होगी, जिसका स्वरूप विश्वविद्यालय की BOS व Academic Council निर्धारित करेगी।
- प्री-पी0एच0डी0 कोर्स वर्क के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- प्री-पी0एच0डी0 कोर्स वर्क में 16 क्रेडिट अर्जित करके उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी को उस मुख्य विषय में Post Graduate Diploma in Research (PGDR) दिया जायेगा।
- प्री-पी0एच0डी0 कोर्स वर्क उत्तीर्ण करने के पश्चात विद्यार्थी को पी0एच0डी0 में शोध के लिए पंजीकृत किया जायेगा।
- उत्तर प्रदेश शासन ने शासनादेश, संख्या-69/सत्तर-1-2022 दिनांक 06-01-2021 के अनुसार सेवारत शिक्षकों के लिये प्री.पी.एच.डी. कोर्स वर्क को पूर्ण करने हेतु भौतिक कक्षाओं के साथ-साथ आनलाईन प्रक्रिया को भी मान्यता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालयों से कार्यवही करने को कहा है। इस सम्बंध में विश्वविद्यालय सेवारत शिक्षकों के लिये आनलाईन कोर्स वर्क का प्रारूप व नियम बना सकते हैं।

Blue Colour: No. of papers

Red colour: Credits

Purple colour: Non-Credit Qualifying Courses

Table - Year-wise Structure of UG/PG Programs

Year	Sem.	Subject I		Subject II		Subject III		Subject IV		Vocational		Co-Curricular		Industrial Training/ Survey / Research Project		{ Minimum Credits } For the year	{ Cumulative Minimum Credits } Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree
		Major 4/5/6 Credits	Own Faculty	Major 4/5/6 Credits	Own Faculty	Major 4/5/6 Credits	Own/ Other Faculty	Minor Elective 4/5/6 Credits	Other Faculty	Minor 3 Credits	Vocational/ Skill Development Course	Minor 2 Credits	Co-Curricular Course (Qualifying)	Major 4 Credits	Inter/Intra Faculty related to main Subject		
1	I	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)		1		1				46	{46} Certificate in Faculty
	II	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)			1		1					
2	III	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)		1		1				46	{92} Diploma in Faculty
	IV	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)			1		1					
3	V	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)					1		1 (Qualifying)		40	{132} Bachelor in Faculty
	VI	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)					1		1 (Qualifying)			
4	VII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)	1 (4/5/6)						1 (4)		52	{184} Bachelor (Research) in Faculty
	VIII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)							1 (4)			
5	IX	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)							1 (4)		48	{232} Master in Faculty
	X	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)							1 (4)			
6	XI	Th-2 (6)	Th-1(4) Research Methodology											1 (Qualifying)		16	{248} PGDR in Subject Ph.D. in Subject
6,7,8	XII-XVI													Ph.D. Thesis			